

कमांक 271/ई-टेंडरिंग/2018-19/4596
कार्यालय प्रमुख अभियंता,
जल संसाधन विभाग
जल संसाधन भवन, तुलसीनगर, भोपाल (म.प्र.)
ईमेल- encwrbpl-mp@nic.in
दूरभाष 0755-2552646, 2552878, फैक्स 0755-2552406
भोपाल, दिनांक 01/11/2018

प्रति,

समस्त मुख्य अभियन्ता

विषय-वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 की अवधि में अनुबंधित कार्यों की जानकारी।

संदर्भ-कार्यालय महालेखाकार (आर्थिक एवं राजस्व क्षेत्र लेखापरीक्षा) म.प्र. भोपाल का पत्र क.
फाग/आ.क्षे-1/जा-227 दिनांक-11/10/2018

विषयान्तर्गत लेख है कि आपके अधीनस्थ संरचनाओं अन्तर्गत वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 में राशि रु. 1.00 करोड़ से अधिक की संविदाओं की जानकारी संदर्भित पत्र में संलग्न प्रपत्र अनुसार कार्यालय महालेखाकार, (आर्थिक एवं राजस्व क्षेत्र लेखा परीक्षा), भोपाल को शीघ्र प्रेषित कर इस कार्यालय को सूचित करने का कष्ट करें।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार

(ए.के.जैन)

मुख्य अभियंता (प्रो)
कार्यालय प्रमुख अभियंता
जल संसाधन विभाग, भोपाल
भोपाल, दिनांक 01/11/2018

पृष्ठा. कमांक 271/ई-टेंडरिंग/2018-19/4597
प्रतिलिपि:-

वैब मैनेजर, कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, भोपाल की ओर वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

(ए.के.जैन)

मुख्य अभियंता (प्रो)
कार्यालय प्रमुख अभियंता
जल संसाधन विभाग, भोपाल

3
17/10/18



कार्यालय महालेखाकार (आर्थिक एवं राजस्व क्षेत्र लेखापरीक्षा), म.प्र.
53, अरेरा हिल्स, होशंगाबाद रोड, भोपाल
Office of the Accountant General (E & R Sector Audit),
M.P.

53, Arera Hills, Hoshangabad Road, Bhopal
दूरभाष - 0755-2553677-78

16 OCT 2018

क्र./ फाग/आ.क्षे.-1/जा.- 227

दिनांक : 11/10/18

प्रति,

प्रमुख अभियंता,
जल संसाधन विभाग, नर्मदा भवन, तुलसी नगर,
भोपाल- 462003

C.E.(I.S.)		SE (A)
C.E.(N.M.)	8	GPO
C.E.(P)		EBTG
S.E.(Major)	161	ETD
S.E.(W)	Sr.PA	S.A. (ED)

विषय:- वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 की अवधि में अनुबंधित-कार्यों की जानकारी।

ENC.

महोदय,

म.प्र. वित्तीय संहिता भाग-I के चैप्टर -II के नियम 19 के अनुसार सभी नियंत्रण अधिकारियों की जिम्मेदारी है कि महालेखाकार को उनके दायित्वों/कर्तव्यों के निर्वहन हेतु सभी आवश्यक सुविधाएं/सूचनाएं प्रदान करें। इसी संहिता के चैप्टर -II के नियम 20 के अनुसार सभी संस्वीकृतियां महालेखाकार को प्रेषित की जानी चाहिए।

कार्य विभाग नियमावली की कण्डिका 2.092 के अनुसार रु. 5.00 लाख से अधिक के सविदाओं की स्थापित प्रति महालेखाकार को प्रेषित की जानी चाहिए। किन्तु इस कार्यालय में आपके विभाग से वर्ष 2016-17 में कुल 69 (उन्हत्तर) अनुबन्ध तथा 2017-18 में कुल 45 (पैंतालिस) अनुबन्ध प्राप्त हुए हैं।

प्राप्त जानकारी के अनुसार अनुबन्ध इससे कहीं ज्यादा संख्या में हुए हैं। अतः इस कार्यालय को अवगत करावे कि क्या किसी आदेश के तहत अनुबन्ध नहीं भेजा जा रहा है ? जिससे प्रकरण शासन स्तर पर चर्चा की जा सके।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 में रु. 1 करोड़ से अधिक राशि के जो अनुबन्ध किए गये हैं ऐसे सभी अनुबंधित कार्यों की जानकारी संलग्न प्रपत्र में शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्न- एक प्रपत्र

भवदीय

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/फाग

C.E.(PDC)

10/10

SE (P)

अनुबन्धित
345237 32

1320

17.10.18

A.E.(T.S.)

18/10

प्रपत्र

वर्ष 2016-17 से 2017-18 की अवधि में।
रु. एक करोड़ से अधिक राशि के अनुबंधित कार्यों की जानकारी।

स.क्र.	कार्य का नाम	पी.ए.सी.	अनुबंध क्रमांक	टेके की राशि	संबंधित संभाग का नाम
1	2	3	4	5	6

कार्यालय प्रमुख